न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार रॉखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपील:–

अपील संख्या :– 73/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. निर्मला देवी पत्नि परशुराम
2. अनिता देवी पुत्री परशुराम
3. मुकेश पुत्र परशुराम (फौत)

3/1 सुमन पत्नि स्व0 मुकेश

3/2 दीपिका नाबालिग पुत्री स्व0 मुकेश सरपरस्त माता सुमन

3/3 अंकित शर्मा नाबालिग पुत्र स्व0 मुकेश सरपरस्त माता सुमन

4. आशीष पुत्र परशुराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:——————अपीलांट

बनाम

1 चतुर्भुज पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 उप पंजीयक, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:————— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 14.5.2018

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री विनोद कुमार शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :– श्री शैलेन्द्र भार्गव

दूसरी अपील:'–

अपील संख्या :– 74/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. निर्मला देवी पत्नि परशुराम

2. अनिता देवी पुत्री परशुराम

3. मुकेश पुत्र परशुराम (फौत)

3/1 सुमन पत्नि स्व0 मुकेश

3/2 दीपिका नाबालिग पुत्री स्व0 मुकेश जरिये सरपरस्त माता सुमन

3/3 अंकित शर्मा नाबालिग पुत्र स्व0 मुकेश जरिये सरपरस्त माता सुमन

4. आशीष पुत्र परशुराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:–––––अपीलांट

बनाम

1 चतुर्भुज पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 उप पंजीयक, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:–––– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 14.5.2018

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांटरा :— श्री विनोद कुमार शर्मा

2. वकील रेस्पों0 :— श्री शैलेन्द्र भार्गव

निर्णय दिनांक 21.9.2021

1 उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकारान एक समान है तथा तथ्य एक समान है । इसलिये इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

2 तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 223/2006 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 14.5.2018, जिसके द्वारा उक्त वाद खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अपील संख्या 73/18 पेश की गई है । इसी प्रकार तहत अदालत द्वारा राजस्व वाद संख्या 163/2006 में पारित निर्णय दिनांक 14.5.18, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत अपील संख्या 74/18 पेश की गई है ।

3 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र संख्या 223/2006 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 557 मिन रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा हाल नम्बर 975 रकबा 43 एयर वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर सालिम का वादी खातेदार काश्तकार है । जमाबन्दी सम्वत 2015 में वादी की नानी भगवती देवी भंवरा खातेदार दर्ज है । लेकिन भगवती के फौत होने के बाद उक्त आराजी भगवती की लडकी कलावती के नाम और कलावती के फौत होने के बाद चतुर्भुज व परशुराम के नाम बहिस्से बराबर इंतकाल होना चाहिये था, परन्तु प्रतिवादी ने पटवारी हल्का से मिलकर सम्वत 2019 में नामांतकरण संख्या 622 में हेरफेर कराकर अपना नाम काश्तकार के कॉलम में अंकित करा लिया व इसी प्रकार का इन्द्राज बाद की जमाबंदियों में होता आ रहा है । लेकिन पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2015 में खेवट संख्या 35 में भगवती बेवा भौंरा जाति ब्राहमण साकिन देह खातेदार मार्फत चतुर्भुज पुत्र कैलाश खातेदार है, जो इन्द्राज गलत है । इस प्रकार वादी विवादित आराजी का काबिज काश्तकार होते हुये भी वादी को खातेदार दर्ज नहीं किया । प्रतिवादी संख्या 01 का विवादित आराजी में 1/2 भाग का वास्ता है । इसके अलावा उक्त

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

आराजी से उसका कोई वास्ता नहीं है । वादी सालिम आराजी में से 1/2 भाग का अपने आपको खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 14.5.18 द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर वादी ने अपील संख्या 73/18 पेश की है ।

4 इसी प्रकार वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र संख्या 163/2006 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 496 मिन रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा हाल नम्बर 1236 रकबा 1.67 हेक्टेयर वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर सालिम का वादी खातेदार काश्तकार है । जमाबन्दी सम्वत 2015 में वादी के पिता कन्हैया लाल पुत्र जयनारायण का 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज है । लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपना नाम काश्तकार के कॉलम में अंकित करा लिया व इसी प्रकार बाद के रेकार्ड में अमल होता चला आ रहा है । बंदोबस्त सम्वत 2029 में भी प्रतिवादी के नाम का अंकन कर दिया गया । जबकि विवादित भूमि से प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत के निर्णय दिनांक 14.5.18 के द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर वादी ने अपील संख्या 74/18 पेश की है ।

5 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अभिकथन किया है कि विवादित भूमि की खातेदार भगवती देवी बेवाह भौंरा थी । उक्त भगवती देवी वादी की नानी थी । इसलिये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा बनता है, परन्तु प्रतिवादी ने पटवारी से साजबाज होकर सालिम आराजी अपने नाम करा ली । हमने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया था । परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया । अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है । यहां मेरा निवेदन है कि कोई राजीनामा पेश नहीं हुआ था । राजीनामा पेश होने पर ही कैम्प में निर्णय किया जा सकता है । कैम्प में ना तो वादी उपस्थित था और ना ही वादी का वकील उपस्थित था । हमको सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । विवादित भूमि वादी की नानी की खातेदारी की थी । हमारे पति/पिता परशुराम उर्फ परसा तथा प्रतिवादी नम्बर 01 चतुर्भुज सगे भाई थे । इसलिये उक्त पैत्रिक सम्पत्ति में हमारा 1/2 हिस्सा बनता है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 चतुर्भुज ने चालाकी से सालिम आराजी अपने नाम करा ली । हम दुरूस्ती के अधिकारी है, परन्तु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तहत अदालत ने गलत तौर पर हमारा वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

6 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 स0 01 प्रतिवादी का कथन है कि परशुराम मेरा सगा भाई नहीं था । परशुराम नृसिंगदास पुत्र जयनारायण का लडका था । मेरी नानी ने मंदिर की पूजा करने के लिये नृसिंगदास पुत्र जयनारायण को बतौर पुजारी रख लिया था । उक्त नृसिंगदास ने चालाकी से रेकार्ड में अपना नाम कन्हैयालाल उर्फ नृसिंगदास दर्ज करा लिया । इस कृत्य के लिये नृसिंगदास के खिलाफ सन 1945 में एडिशनल मिनिस्टर अलवर राज्य द्वारा निर्णय पारित किया गया था और नृसिंगदास को दोषी ठहराया था । उक्त निर्णय में मुझे जायज पुजारी व वारिस घोषित किया है । इस प्रकार साबित है कि वादी परशुराम कन्हैया का पुत्र नहीं था । कन्हैया का एक मात्र पुत्र मैं चतुर्भुज हूं । विवादित भूमि पैत्रिक है, जिसमें मेरा पूर्ण अधिकार है । वादी अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है । कन्हैया लाल पुत्र जयनारायण नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं था । बयानों में भी बताया गया है कि वादी परशुराम कन्हैया लाल का लडका नहीं है । वादी ने तहत अदालत में गलत सजरा पेश किया है । प्रकरण में मुख्य विवाद वारिस के बिन्दू को लेकर है । इसलिये इसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

7 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि मैंने अदालत हाजा में आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश किये हैं, जिनसे साबित है कि परशुराम व चतुर्भुज सगे भाई है । ये 1945 के जिस निर्णय की बात करते हैं, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त निर्णय के समय परशुराम की उम्र मात्र 4 साल की थी । क्या नाबालिग के खिलाफ निर्णय हो सकता है । परशराम व चतुर्भुज की एक ही मां है, जिसका नाम कलावती था ।

8 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । दौराने अपील अपीलांट नम्बर 03 मुकेश का देहान्त हो गया था । जिसके वारिसान को आदेश दिनांक 4.3.2021 द्वारा रेकार्ड पर लिया गया था ।

9 दौराने विचारण अपील अपीलांट नें आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 पेश की, जिस पर उभयपक्ष को सुना गया । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तर्क दिये कि प्रार्थना पत्र के साथ पेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

दस्तावेज न्याय निर्णयन हेतु अहम है । इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्रहण किया जावे । जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि उक्त दस्तावेज प्रकरण से कोई सम्बन्ध में नहीं रखते हैं । वारिस के सम्बन्ध में सन 1947 में ही निर्णय हो चुका है और नृसिंगदास, जो कि वादी का पिता था, को दोषी ठहराया था । जो दस्तावेज अपीलांट ने वारिस के सम्बन्ध में पेश किये हैं, वे अब अहम नहीं रह जाते हैं और न्याय निर्णयन हेतु आवश्यक नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । चूंकि पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद वारिस के सम्बन्ध में है और दस्तावेज पेश किये हैं, वे इसी सम्बन्ध में है जो कि न्याय निर्णयन हेतु अहम है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्रहण किया जाता है ।

10 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के पैत्रिक होने के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है । दोनों ही पक्ष विवादित आराजी को पैत्रिक होना स्वीकार करते हैं । दोनों पक्षों में मुख्य विवाद वारिस के बिन्दू को लेकर है । जहां अपीलांट अपने पति/पिता परशुराम को कन्हैया लाल का पुत्र होना एवं उक्त परशुराम एवं रेस्पो0 संख्या 01 चतुर्भुज को सगा भाई होना बता रहे हैं, वहीं रेस्पो0 संख्या 01 अपने आपको कन्हैया का पुत्र होना एवं वादी परशुराम को कन्हैया का पुत्र न बताकर नृसिंगदास का पुत्र बता रहे हैं । रेस्पो0 संख्या 01 परशुराम को अपना भाई नहीं बता रहा है । उभयपक्षों के इन कथनों के सम्बन्ध में हमने अदालत हाजा की पत्रावली में आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के साथ पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया । आधार कार्ड संख्या 343926931890 में वादी परसराम की वल्दियत कन्हैयालाल तथा निवास का पता करनीकोट, मुण्डावर अंकित है । रसीद/परिचय पत्र संख्या ए–372917 दिनांक 30.7.2012, जो कि पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा जारी की गई है, में भी वादी परसराम की वल्दियत कन्हैयालाल व निवास का पता करनीकोट, मुण्डावर अंकित है । राशन कार्ड संख्या 2 के/63 में भी परसराम की वल्दियत कन्हैयालाल दर्ज है । मृत्यु प्रमाण पत्र, जो कि परसराम की मृत्यु होने बाबत दिनांक 14.7.2015 को जारी किया गया है, में भी वादी परसराम के पिता का नाम कन्हैयालाल माता का नाम कलावती अंकित है । ग्राम पंचायत, करनीकोट पंचायत समिति मुण्डावर द्वारा दिनांक 28.1.2013 को वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें कन्हैयालाल

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पुत्र रामचन्दर के वारिस कलावती देवी (पत्नि, मृत्यु हो चुकी है), जानकी देवी (पुत्री, मृत्यु हो चुकी है), चतुर्भुज (पुत्र, जीवित है) तथा परसराम (पुत्र) को बताया गया है । दौराने विचारण वाद वादी परसराम का देहान्त हो चुका है,जिसके वारिस अपीलांटस है । कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, करनीकोट (मुण्डावर) द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र दिनांक 2.12.2006 में भी वादी परसराम की वल्दियत कन्हैयालाल दर्ज है । विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मुण्डावर (53) की नामावली 1971 भाग संख्या 71 के क्रम संख्या 87 में वादी परसराम व प्रतिवादी संख्या 01 चतुर्भुज की वल्दियत कन्हैयालाल अंकित है । इसी प्रकार कलावती के पति का नाम कन्हैयालाल दर्ज है ।

11 उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से सिद्ध है कि वादी परसराम कन्हैयालाल का पुत्र था । प्रतिवादी नम्बर 01 चतुर्भुज भी कन्हैयालाल का पुत्र है । इन दोनों की माता का नाम कलावती था । वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 दोनों आपस में सगे भाई है । इसलिये विवादित आराजी, जो कि पैत्रिक है, में उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोनों भाईयों का समान हिस्सा निहित है । लिहाजा हर दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य है ।

12 अतः आदेश है कि हर दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.5.2018 निरस्त किये जाते हैं । वादी का वाद पत्र संख्या 223/2006 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 975 रकबा 43 एयर वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर में से 1/2 भाग का अपीलांटस को खातेदार घोषित किया जाता है तथा वाद पत्र संख्या 163/2006 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1226 रकबा 1.67 हेक्टेयर वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर में से 1/2 भाग का अपीलांटस को खातेदार घोषित किया जाता है । उपरोक्त आराजीयात के 1/2 भाग पर रेस्पो0 संख्या 01 चतुर्भुज का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर अपीलांटस का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे । राजस्व रेकार्ड हाल में उपरोक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर इन्द्राज किया जावे ।

13 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलेः–

पहली अपीलः–

अपील संख्या :– 73/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. निर्मला देवी पत्नि परशुराम

2. अनिता देवी पुत्री परशुराम

3. मुकेश पुत्र परशुराम (फौत)

3/1 सुमन पत्नि स्व0 मुकेश

3/2 दीपिका नाबालिग पुत्री स्व0 मुकेश सरपरस्त माता सुमन

3/3 अंकित शर्मा नाबालिग पुत्र स्व0 मुकेश सरपरस्त माता सुमन

4. आशीष पुत्र परशुराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:––––––अपीलांट

बनाम

1 चतुर्भुज पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 उप पंजीयक, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:–––– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 14.5.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांटरा :— श्री विनोद कुमार शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :— श्री शैलेन्द्र भार्गव

दूसरी अपील:'—

अपील संख्या :— 74/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :— 1. निर्मला देवी पत्नि परशुराम

2. अनिता देवी पुत्री परशुराम

3. मुकेश पुत्र परशुराम (फौत)

3/1 सुमन पत्नि स्व0 मुकेश

3/2 दीपिका नाबालिग पुत्री स्व0 मुकेश जरिये सरपरस्त माता सुमन

3/3 अंकित शर्मा नाबालिग पुत्र स्व0 मुकेश जरिये सरपरस्त माता सुमन

4. आशीष पुत्र परशुराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:————अपीलांट

बनाम

1 चतुर्भुज पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 उप पंजीयक, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:——— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 14.5.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांटस :— श्री विनोद कुमार शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :— श्री शैलेन्द्र भार्गव

पर्चा डिकी

दिनांक 21.9.2021

हर दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.5.2018 निरस्त किये जाते हैं । वादी का वाद पत्र संख्या 223/2006 इस प्रकार डिकी किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 975 रकबा 43 एयर वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर में से 1/2 भाग का अपीलांटस को खातेदार घोषित किया जाता है तथा वाद पत्र संख्या 163/2006 इस प्रकार डिकी किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1226 रकवा 1.67 हेक्टेयर वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर में से 1/2 भाग का अपीलांटस को खातेदार घोषित किया जाता है । उपरोक्त आराजीयात के 1/2 भाग पर रेस्पो0 संख्या 01 चतुर्भुज का नाम कलमजन कर उसके स्थाान पर अपीलांटस का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे । राजस्व रेकार्ड हाल में उपरोक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर इन्द्राज किया जावे ।

(अशोक कुमार सॉखला)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर